# V सहकारी बैंकिंग गतिविधियां

*2019-20 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की तुलन पत्र वृद्धि में देयता पक्ष में कम जमा अभिवृद्धि और आस्ति पक्ष में ऋणों और अग्रिमों में धीमी वृद्धि के कारण गिरावट आई। यूसीबी को जहां अत्यधिक प्रावधान संबंधी आवश्यकता के कारण शुद्ध घाटा हुआ, वहीं उनकी आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई। अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थानों के भीतर, जीएनपीए अनुपात और लाभप्रदता के लिहाज से राज्य सहकारी बैंकों के प्रदर्शन में सुधार हुआ, जबकि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का प्रदर्शन लगातार बिगड़ता गया।*

## 1. भूमिका

V.1 सहकारी संस्थाएं शहरी और ग्रामीण जनसाधारण तक अपनी भौगोलिक और जनसांख्यिकीय पहुंच के जरिए भारत में वित्तीय समावेशन के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। हालांकि, 2019-20 के दौरान सहकारी क्षेत्र को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की घटनाओं ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता को प्रभावित किया। 2020-21 के दौरान अब तक, कोविड-19 से जुड़ी अनिश्चितताओं ने इस क्षेत्र के कार्य को प्रभावित किया, जैसा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ हुआ। इन कमजोरियों के बावजूद, इस दौर ने एक छत्र संगठन, जो इन बैंकों की धन संबंधी कमी को दूर करेगा, की स्थापना और बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन, जिसने दोहरे विनियामकीय नियंत्रण की जटिल समस्या का समाधान किया, के रूप में सुधार के कई मार्ग भी प्रशस्त किए।

V.2 इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, यह अध्याय समीक्षाधीन अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण करता है। खंड 2 में सहकारी क्षेत्र की संरचना और विनियमन की समीक्षा की गई है। खंड 3 में यूसीबी के तुलन पत्र की गतिविधियों, वित्तीय प्रदर्शन और आस्ति गुणवत्ता पर प्रकाश डाला गया है। खंड 4 में उनकी वित्तीय स्थिति और व्यवहार्यता[1] के दृष्टिकोण से अल्पावधि और दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी बैंकों की जांच की गई है। खंड 5 को क्षेत्र के समग्र मूल्यांकन और कतिपय नीतिगत नज़रिए के साथ समाप्त किया गया है।

## 2. सहकारी क्षेत्र की संरचना और विनियमन

V.3 मार्च 2020 के अंत में, क्षेत्र में 1,539 यूसीबी और 97,006 ग्रामीण सहकारी बैंक[2] शामिल थे। सभी सहकारी बैंकों को कुल मिलाकर देखें तो ग्रामीण सहकारी बैंकों का कुल आस्ति आकार में 65 प्रतिशत हिस्सा होता है (चार्ट V.1)।

V.4 इस क्षेत्र द्वारा अहम भूमिका अदा करने के बावजूद, उसका आस्ति आकार मार्च 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार एससीबी की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत मात्र था। यद्यपि ग्रामीण सहकारी बैंक कृषि क्षेत्र को उधार देने में ध्यान केंद्रित करता है, उसकी कुल कृषि उधार में हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में काफी घटी है, जो 1992-93 में 64 प्रतिशत की ऊंचाई से 2019-20 में घटकर 11.3 प्रतिशत रह गई (सारणी V.1)।

[1] यद्यपि प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) और दीर्घावधि सहकारी संस्थान रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे से बाहर हैं, इस क्षेत्र की पूरी रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से डेटा और उनकी गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में शामिल हैं।

[2] ग्रामीण सहकारी संस्थानों के आंकड़े एक साल के अंतराल से उपलब्ध होते हैं, अर्थात वे 2018-19 के हैं।

**चार्ट V.1: आस्ति आकार के आधार पर सहकारी संस्थानों की संरचना**

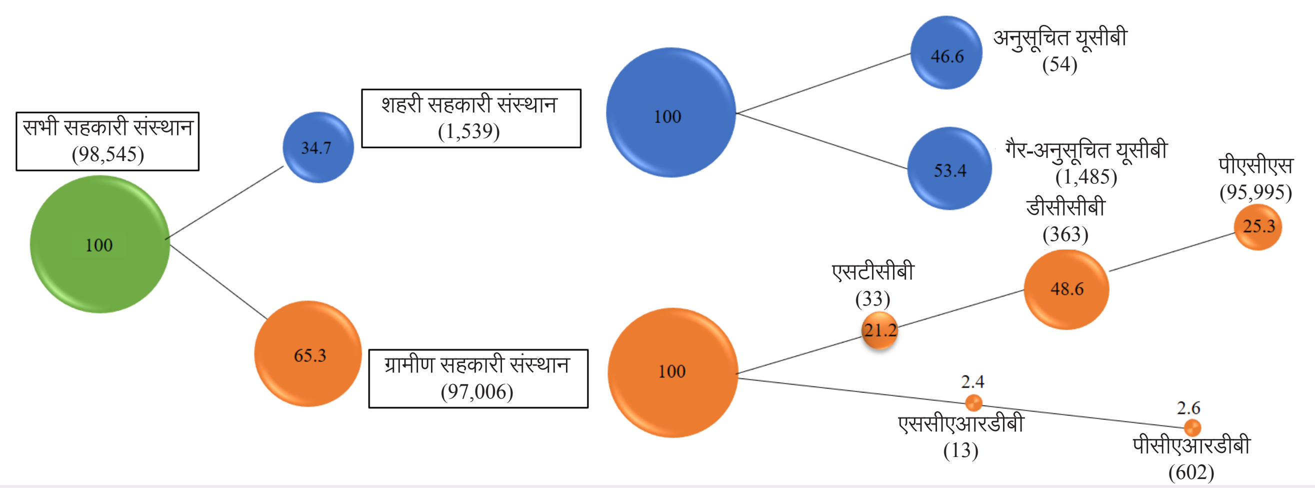


**टिप्पणियां:** 1. आंकड़े प्रतिशत में है और बुलबुले का आकार आस्ति आकार का समानुपाती है।
2. एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी; एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
3. कोष्ठकों में दिए आंकड़े मार्च 2020 के अंत में यूसीबी की और मार्च 2019 के अंत में ग्रामीण सहकारी संस्थानों की संख्या को दर्शाते हैं। 54 अनुसूचित यूसीबी में से 36 बहु-राज्यी और 18 एकल-राज्यी हैं। 1,485 गैर-अनुसूचित यूसीबी में से 25 बहु-राज्यी हैं और 1,460 एकल-राज्यी हैं।

V.5 इस क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता पिछले कुछ वर्षों से चिंता का विषय बना हुआ है। रिज़र्व बैंक ने 01 अप्रैल 2015 के बाद से 52 यूसीबी को सर्वसमावेशी निर्देशों के अधीन रखा।[3] निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की स्थापना के बाद से उसके द्वारा निपटान किए गए कुल दावों में से लगभग 94.3 प्रतिशत दावे उन सहकारी बैंकों के थे जिनका परिसमापन, समामेलन, या पुनर्गठन किया गया था।

**सारणी V.1: कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी**

(प्रतिशत)

| | कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी | | |
|---|---|---|---|
| | सहकारी बैंक | आरआरबी | वाणिज्यिक बैंक |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2014-15 | 16.4 | 12.1 | 71.5 |
| 2015-16 | 16.7 | 13.0 | 70.2 |
| 2016-17 | 13.4 | 11.6 | 75.0 |
| 2017-18 | 12.9 | 12.1 | 74.9 |
| 2018-19 | 12.1 | 11.9 | 76.0 |
| 2019-20(अ) | 11.3 | 11.9 | 76.8 |

**टिप्पणी :** (अ) आंकड़े अनंतिम हैं।
**स्रोत :** बैंकों द्वारा नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल में प्रस्तुत आंकड़े।

V.6 पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें विनियामक नीतियों के समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिहाज से राज्य और केंद्र सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करना, शहरी सहकारी बैंकों के लिए टास्क फोर्स बनाना, क्षमता निर्माण को लेकर व्यापक पहल करना, और प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से दक्षता हेतु उपाय करना शामिल हैं। 2003 में शुरू की गई श्रेणीबद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई को विभिन्न ट्रिगर प्वाइंट्स के आधार पर 2012 में पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क से बदल दिया गया था, जिसमें 2014 और 2020 में और संशोधन किया गया। इन पहलों के बावजूद, क्षेत्र को कई संरचनात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ता है जैसे रिज़र्व बैंक और केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा दोहरे विनियमन, व्यावसायिकता के साथ सहयोग के सिद्धांतों को जोड़ने में असमर्थता, अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए अवसरों की कमी, प्रौद्योगिकीय उन्नयन की आवश्यकता और हाल ही में, धोखाधड़ी की घटनाएं।

[3] 11 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार।

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के लागू होने से इनमें से कुछ समस्याओं के समाधान की उम्मीद है (बॉक्स V.1)।

## 3. शहरी सहकारी बैंक

V.7 रिज़र्व बैंक ने 1993 में यूसीबी को लाइसेंस देने की नीति में उदारता बरती, नतीजतन देश में उनकी संख्या में तेजी

### बॉक्स V.1: सहकारी बैंकों का दोहरा नियंत्रण और बीआर संशोधन अधिनियम

भारतीय संविधान के तहत, सहकारिता एक राज्य विषय है जो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। 1960 के दशक के मध्य में, जहां सहकारी बैंकों में निक्षेप बीमा योजना के विस्तार की मांग अधिक मुखर हुई वहीं इन बैंकों पर बैंकिंग कानून लागू किए गए, ताकि रिज़र्व बैंक उन पर कुछ नियंत्रण कर सके। इस वजह से इस क्षेत्र का दोहरा नियंत्रण होने लगा जिसमें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) या सहकारी समितियों (सीआरसीएस)[4] के केंद्रीय रजिस्ट्रार को उनके निगमन, पंजीकरण, प्रबंधन, वसूली, लेखापरीक्षा, निदेशक मंडल के अधिक्रमण और परिसमापन की देखरेख करने का अधिकार दिया गया था। रिज़र्व बैंक को यूसीबी, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की बैंकिंग गतिविधियों के विनियामक निरीक्षण का अधिकार दिया गया था। रिज़र्व बैंक को यूसीबी के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी।

रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी शक्तियां, हालांकि, कई मायनों में सीमित थीं, जिसने अनियमितताओं के मामले में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया। बीआर अधिनियम, 1949 में संशोधन से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और सहकारी बैंकों को मजबूत करने का प्रयास किया गया है जिसके लिए पूंजी तक पहुंच को बेहतर करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा गवर्नेन्स एवं निगरानी में सुधार किया गया है। 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित यह संशोधन यूसीबी के लिए पूर्व प्रभाव, अर्थात 29 जून, 2020 से लागू हुआ। अधिनियम में संशोधित प्रावधानों में प्रमुख अधिनियम की धारा 3, धारा 45 और धारा 56 शामिल हैं।

धारा 56 में संशोधन इस परिवर्तन के मूल में है; यह वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के बीच विनियामक अंतरपणन को कम करता है जिसके लिए उन पर लागू कई प्रावधानों में एकरूपता लाई गई, हालांकि कुछ संशोधनों के साथ। इन प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ, बोर्ड के सदस्यों की योग्यता के लिए मानदंड, अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक (एमडी) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) / अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति और निष्कासन, और बोर्ड का अधिक्रमण शामिल है। संशोधन के माध्यम से, निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले ऋणों या अग्रिमों, अन्य फर्मों में पर्याप्त हित रखने वाले या रोजगार को लेकर पूर्णकालिक निदेशकों, भिन्न-भिन्न बैंकों में निदेशक पद वहन करने, और सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति या निष्कासन के अनुमोदन पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। रिज़र्व बैंक ने यूसीबी को उनके लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ और हानि विवरण प्रस्तुत करने के लिए यूसीबी को दी गई समय सीमा को छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया है, इस प्रकार इसे वाणिज्यिक बैंकों के अनुरूप किया गया है। पूंजी जुटाने के लिए इन बैंकों को अधिक स्वायत्तता देने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर, शहरी सहकारी बैंकों को कम से कम दस साल के परिपक्वता वाले डिबेंचर या बॉन्ड, इक्विटी शेयर, अधिमान्य शेयर या अंकित मूल्य या प्रीमियम पर विशेष शेयर, कुछ शर्तों के साथ, जारी करने की अनुमति है।

अधिनियम की धारा 45 में संशोधन रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकार की स्वीकृति से, अधिस्थगन अवधि लागू करने या किए बिना ही, बैंकों के पुनर्निर्माण या समामेलन का अधिकार देता है। 'पुनर्निर्माण' शब्द को विलय, अधिग्रहण और अधिकरण या विलगाव को शामिल करने के लिए व्यापक अर्थ दिया गया है। यह संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से शहरी सहकारी बैंक के प्रबंधन का अधिक्रमण करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है। इन उपायों का उद्देश्य उचित प्रबंधन सुनिश्चित करके और वित्तीय प्रणाली में कोई व्यवधान पैदा किए बिना जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

धारा 3 में संशोधन किए जाने से अधिनियम के प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) या सहकारी समितियों, जिनका प्राथमिक उद्देश्य और प्रमुख कारोबार कृषि विकास के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करना है, पर लागू नहीं हो पाते, यदि ये सोसाइटीस 'बैंक' या 'बैंकर' या 'बैंकिंग' शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं एवं चेक के अदाकर्ताओं के रूप में कार्य नहीं करती हैं। यह प्रावधान किसानों और संबद्ध भूमिका निभाने वालों के लिए परिचालनगत सेवाओं को सहज बनाने का प्रयास करता है।

इन संशोधनों से संभावना है कि सहकारी बैंकों के प्रबंधन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा और रिज़र्व बैंक उन्हें और अधिक प्रभावी रूप से विनियमित कर सकेगा।

[4] बहु-राज्यी सहकारी बैंकों के लिए

से वृद्धि हुई। तथापि, लगभग एक-तिहाई नव लाइसेंस प्राप्त यूसीबी कम समय में वित्तीय रूप से दुर्बल हो गए। रिज़र्व बैंक के विज़न डॉक्यूमेंट 2005 ने उनकी व्यवहार्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से बहु-स्तरीय विनियामकीय और पर्यवेक्षी कार्यनीति की सोच रखते हुए उदार लाइसेंस नीति को उलट दिया। इसमें कमजोर अपितु व्यवहार्य यूसीबी का मजबूत यूसीबी के साथ विलय या समामेलन और अव्यवहार्य यूसीबी को समाप्त करना शामिल है। 2003 के बाद से, 385 यूसीबी के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया या वापस ले लिया गया, या मजबूत यूसीबी के साथ विलय कर दिया गया (चार्ट V.2)।

V.8 यूसीबी की संख्या घटने के बावजूद, उनका संयुक्त आस्ति आकार लगातार बढ़ा, जो उनकी वित्तीय स्थिति एवं समेकन अभियान की कारगरता में सुधार को रेखांकित करता है (चार्ट V.3)।

V.9 वर्ष 2004-05 की शुरूआत में, यूसीबी में मार्च 2020 तक 136 विलय देखे गए, और लगभग आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में पाया गया (चार्ट V.4)।

**चार्ट V.3: समेकन और आस्ति आकार**

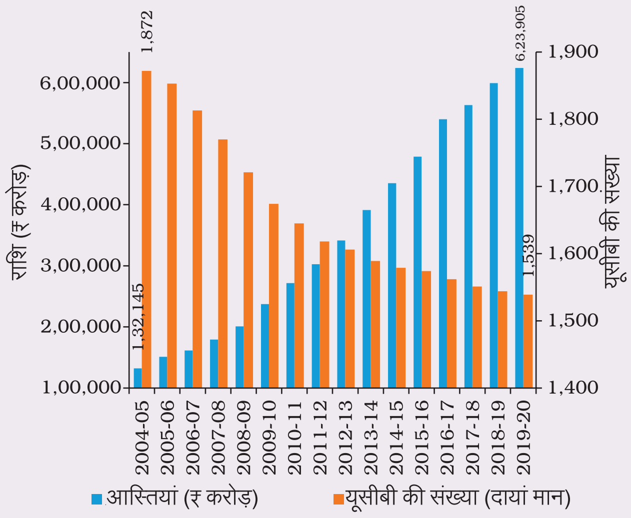


**टिप्पणी :** 2019-20 के आस्ति आकार के आंकड़े अनंतिम हैं।
**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.10 यूसीबी को विनियामकीय प्रयोजनार्थ[5] टिअर-I और टिअर-II श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिभाषा के अनुसार, टिअर II यूसीबी का टिअर I समकक्षों की अपेक्षा बड़ा जमाकर्ता

**चार्ट V.2: यूसीबी की संख्या**

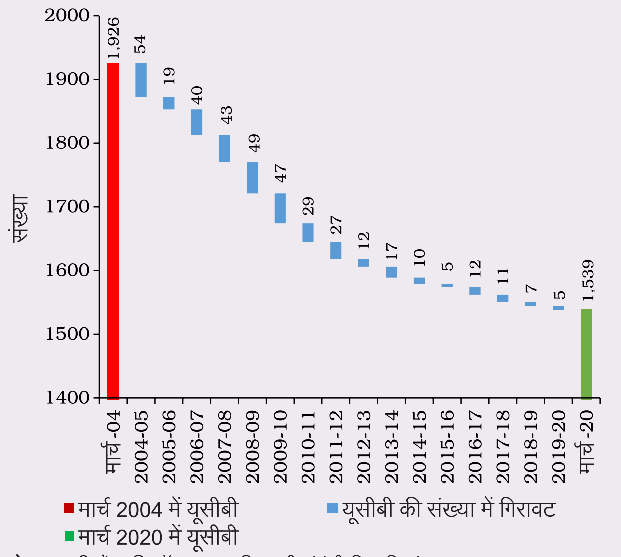


**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

**चार्ट V.4: यूसीबी का विलय**

(मार्च 2020 के अंत में संचयी)

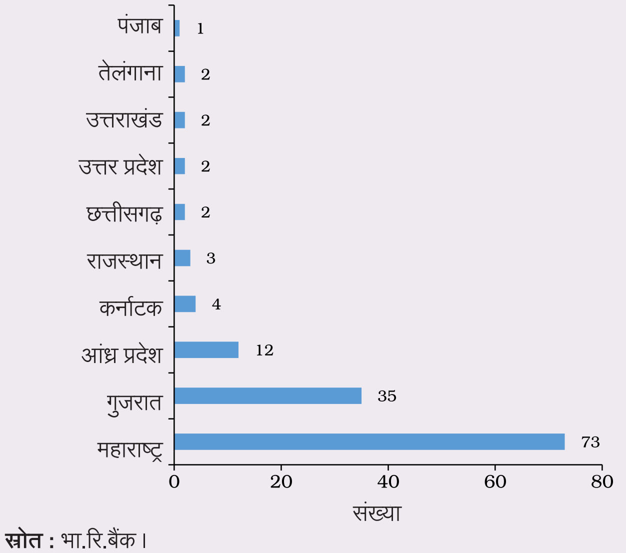


**स्रोत :** भा.रि.बैंक।

[5] (ए) टिअर I यूसीबी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है : i) किसी एक जिले में परिचालन कर रहे ₹100 करोड़ से कम जमा वाले बैंक, ii) एकाधिक जिले में परिचालन कर रहे ₹100 करोड़ से कम जमा वाले बैंक, बशर्ते शाखाएं निकटवर्ती जिलों में हों और किसी एक जिले में शाखाओं की जमाएं और अग्रिम पृथक रूप से बैंक की कुल जमाओं और अग्रिमों का क्रमशः कम से कम 95 प्रतिशत हो, और iii) ₹100 करोड़ से कम जमा वाले बैंक, जिनकी शाखाएं मूलतः किसी एक जिले में थीं अपितु बाद में जिले के पुनर्गठन की वजह से बहु-जिला बन गईं।
(बी) अन्य सभी यूसीबी को टिअर-II यूसीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है।

**सारणी V.2: शहरी सहकारी बैंकों का टिअर-वार वितरण**
(मार्च 2020 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

| टिअर का प्रकार | बैंकों की संख्या | | जमाराशियां | | अग्रिम | | कुल आस्तियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | कुल का % | राशि | कुल का % | राशि | कुल का % | राशि | कुल का % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| टिअर I यूसीबी | 892 | 58.0 | 38,487 | 7.7 | 22,349 | 7.3 | 49,194 | 7.9 |
| टिअर II यूसीबी | 647 | 42.0 | 4,62,722 | 92.3 | 2,83,103 | 92.7 | 5,74,711 | 92.1 |
| **सभी यूसीबी** | **1,539** | **100.0** | **5,01,208** | **100.0** | **3,05,453** | **100.0** | **6,23,905** | **100.0** |

**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं।
**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

आधार और व्यापक भौगोलिक मौजूदगी है। सक्रिय समेकन अभियान की वजह से, संख्या और आस्ति आकार के संदर्भों में टिअर II यूसीबी की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है (सारणी V.2)।

### 3.1 तुलन पत्र

V.11 यूसीबी के समेकित तुलन पत्र ने समेकन अभियान के परिणामस्वरूप दशक में लगातार विस्तार किया। इसे मजबूत और लाभप्रद वित्तीय प्रदर्शन वाले सुदृढ़ प्रतिभागियों से प्रेरणा मिली। हाल के वर्षों में, फिर भी, जहां यूसीबी को लघु वित्त बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसे अन्य आला प्रतिभागियों से होड़ करना पड़ा, और साथ ही उन्हें जमाकर्ताओं को अपनी विश्वसनीयता को लेकर पुनर्जोर देना पड़ा, वहीं उनकी तुलन पत्र वृद्धि में कमी आई (चार्ट V.5)।

V.12 आस्ति आकार के संदर्भ में यूसीबी का वितरण 2016-17 से पहले बाइमॉडल हुआ करता था, जिसमें शीर्ष दो मूल्य ₹25 करोड़ से ₹50 करोड़ और ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़ के आस्ति वर्गों में पाए गए। तदुपरांत, फिर भी, आस्ति संकेंद्रण में इजाफा हुआ, और वितरण यूनिमॉडल हो गया, जिसमें ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़ आस्ति वाले यूसीबी मॉडल वर्ग में जगह पाते हैं। 2019-20 में, यह शीर्ष गत वर्ष की तुलना में स्थिर रहा। फिर भी, वितरण का दाईं तरफ बढ़ना जारी रहा क्योंकि बढ़ती यूसीबी संख्या उच्च आस्ति वर्गों में जगह पाती हैं, और ₹50 करोड़ से कम आस्ति वाले यूसीबी की हिस्सेदारी 2014-15 के 41.9 प्रतिशत से लगातार घटकर 2019-20 में 31.4 प्रतिशत रह गई (चार्ट V.6)।

**चार्ट V.5: आस्ति वृद्धि**

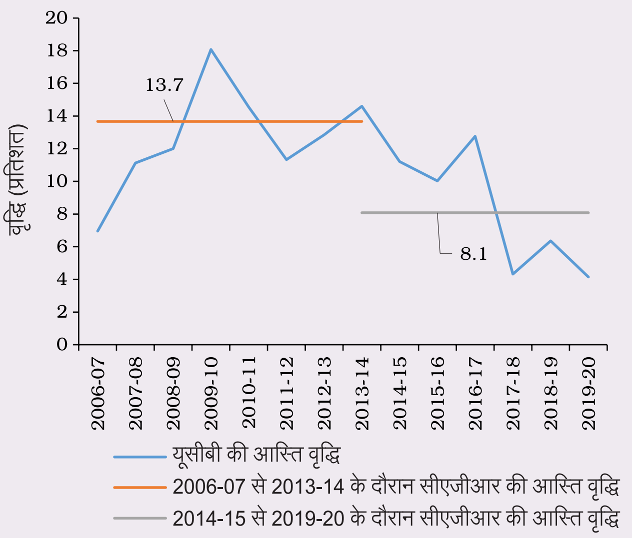


**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

**चार्ट V.6: आस्ति आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण**
(मार्च के अंत में)

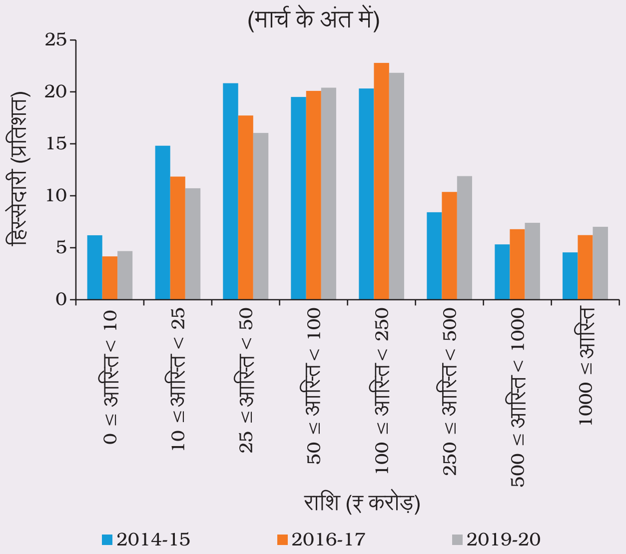


**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.13 जमाराशि, जो यूसीबी के कुल संसाधन आधार[6] का 90 प्रतिशत है, की वृद्धि में पिछले वर्ष सुधार के बाद 2019-20 में कमी आई। औसत जमा वृद्धि दर, तुलन पत्र के आकार में वृद्धि की तर्ज पर, समेकन अभियान के पहले दशक में 13.1 प्रतिशत थी जो 2014-15 से 2019-20 के दौरान घटकर 8 प्रतिशत रह गई। 2017-18 के बाद से, यूसीबी की जमाराशियों में गिरावट एससीबी की अपेक्षा अधिक थी, जो संसाधन जुटाने में यूसीबी द्वारा सामना की गई कठिनाइयों की ओर इशारा करती है (चार्ट V.7)। जमाराशि में गिरावट अनुसूचित यूसीबी (एसयूसीबी)[7] में सबसे अधिक थी। रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध पर्यवेक्षी डेटा से करीब-करीब पूरे 2020-21 में गिरावट जारी रहने का पता चलता है।

V.14 वर्ष 2015-16 से पिछले साल तक 7.8 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि करने के बाद, 2019-20 में यूसीबी के ऋण और अग्रिम करीब-करीब थम गए, जो ऋण की कमजोर मांग को दर्शाता है। सीमांत ऋण में मुख्य रूप से गैर-अनुसूचित यूसीबी (एनएसयूसीबी) की बदौलत वृद्धि हुई, जबकि एसयूसीबी के मामले में ऋण में कमी आई। यद्यपि जमा वृद्धि में तेजी से गिरावट आई, ऋण की मांग कम होने के चलते बाजार और एससीबी से उधार काबू में आया (सारणी V.3)।

**चार्ट V.7: जमाराशियों में वृद्धि : यूसीबी *बनाम* एससीबी**

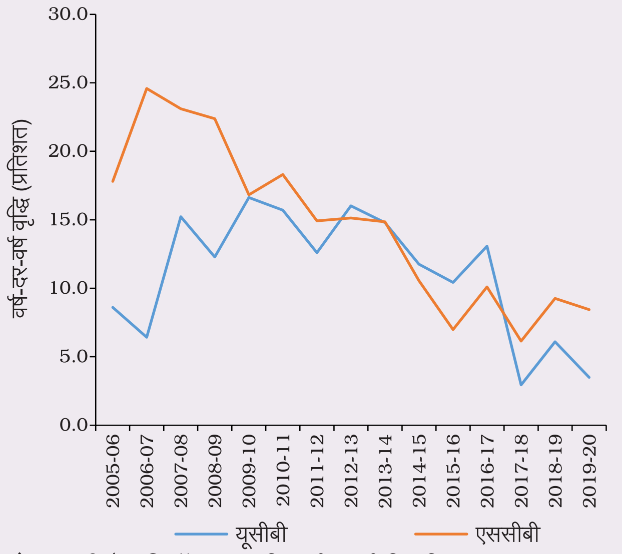


**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

**सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों का तुलन पत्र**
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

| मदें | अनुसूचित यूसीबी | | गैर-अनुसूचित यूसीबी | | सभी यूसीबी | | वृद्धि दर (%) सभी यूसीबी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2018-19 | 2019-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **देयताएं** | | | | | | | | |
| 1) पूंजी | 4,346 (1.5) | 4,438 (1.5) | 9,234 (2.9) | 9,698 (2.9) | 13,580 (2.3) | 14,136 (2.3) | 4.7 | 4.1 |
| 2) आरक्षित निधि और अधिशेष | 18,261 (6.4) | 15,235 (5.2) | 19,019 (6.1) | 18,624 (5.6) | 37,280 (6.2) | 33,859 (5.4) | 5.6 | -9.2 |
| 3) जमाराशियां | 2,25,688 (79.2) | 2,30,058 (79.2) | 2,58,602 (82.3) | 2,71,151 (81.4) | 4,84,290 (80.9) | 5,01,208 (80.3) | 6.1 | 3.5 |
| 4) उधारियां | 6,526 (2.3) | 6,861 (2.4) | 426 (0.1) | 433 (0.1) | 6,952 (1.2) | 7,294 (1.2) | 39.2 | 4.9 |
| 5) अन्य देयताएं और प्रावधान | 30,016 (10.5) | 33,995 (11.7) | 26,949 (8.6) | 33,412 (10.0) | 56,965 (9.5) | 67,408 (10.8) | 6.5 | 18.3 |
| **आस्तियां** | | | | | | | | |
| 1) उपलब्ध नकदी | 1,342 (0.5) | 1,797 (0.6) | 4,046 (1.3) | 4,015 (1.2) | 5,388 (0.9) | 5,812 (0.9) | -1.4 | 7.9 |
| 2) आरबीआई में शेष जमाराशि | 11,064 (3.9) | 9,826 (3.4) | 2,689 (0.9) | 2,801 (0.8) | 13,753 (2.3) | 12,627 (2.0) | 10.0 | -8.2 |
| 3) बैंकों में शेष जमाराशि | 17,132 (6.0) | 18,545 (6.4) | 43,846 (14.0) | 47,668 (14.3) | 60,979 (10.2) | 66,212 (10.6) | -3.2 | 8.6 |
| 4) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 4,421 (1.6) | 6,260 (2.2) | 1,584 (0.5) | 2,129 (0.6) | 6,005 (1.0) | 8,389 (1.3) | 34.6 | 39.7 |
| 5) निवेश | 72,238 (25.4) | 75,400 (26.0) | 84,555 (26.9) | 86,541 (26.0) | 1,56,793 (26.2) | 1,61,941 (26.0) | 4.6 | 3.3 |
| 6) ऋण और अग्रिम | 1,46,560 (51.5) | 1,41,218 (48.6) | 1,56,446 (49.8) | 1,64,234 (49.3) | 3,03,005 (50.6) | 3,05,453 (49.0) | 8.0 | 0.8 |
| 7) अन्य आस्तियां | 32,080 (11.3) | 37,540 (12.9) | 21,064 (6.7) | 25,931 (7.8) | 53,144 (8.9) | 63,472 (10.2) | 11.7 | 19.4 |
| **कुल देयताएं/आस्तियां** | **2,84,838 (100.0)** | **2,90,586 (100.0)** | **3,14,230 (100.0)** | **3,33,319 (100.0)** | **5,99,067 (100.0)** | **6,23,905 (100.0)** | **6.4** | **4.2** |

**टिप्पणियां :** 1. मार्च 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात में हैं (प्रतिशत में)।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

[6] संसाधन आधार में पूंजी, आरक्षित निधि, जमाराशियां, उधारियां शामिल हैं।
[7] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए गए सभी बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। इन बैंकों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक शामिल हैं।

**सारणी V.4: जमाराशियों और अग्रिमों के आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण**

(मार्च 2020 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

| जमाराशियां | यूसीबी की संख्या | | कुल जमाराशियां | | अग्रिम | यूसीबी की संख्या | | कुल अग्रिम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | % हिस्सेदारी | राशि | % हिस्सेदारी | | संख्या | % हिस्सेदारी | राशि | % हिस्सेदारी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0.00 ≤ डी < 10 | 109 | 7.1 | 629 | 0.1 | 0.00 ≤ एडी < 10 | 235 | 15.3 | 1,284 | 0.4 |
| 10 ≤ डी < 25 | 206 | 13.4 | 3,478 | 0.7 | 10 ≤ एडी < 25 | 324 | 21.1 | 5,512 | 1.8 |
| 25 ≤ डी < 50 | 282 | 18.3 | 10,196 | 2.0 | 25 ≤ एडी < 50 | 276 | 17.9 | 9,903 | 3.2 |
| 50 ≤ डी < 100 | 279 | 18.1 | 19,777 | 3.9 | 50 ≤ एडी < 100 | 257 | 16.7 | 18,707 | 6.1 |
| 100 ≤ डी < 250 | 326 | 21.2 | 51,572 | 10.3 | 100 ≤ एडी < 250 | 230 | 14.9 | 36,655 | 12.0 |
| 250 ≤ डी < 500 | 149 | 9.7 | 51,383 | 10.3 | 250 ≤ एडी < 500 | 104 | 6.8 | 36,078 | 11.8 |
| 500 ≤ डी < 1000 | 100 | 6.5 | 67,729 | 13.5 | 500 ≤ एडी < 1000 | 63 | 4.1 | 41,910 | 13.7 |
| 1000 ≤ डी | 88 | 5.7 | 2,96,444 | 59.1 | 1000 ≤ एडी | 50 | 3.2 | 1,55,404 | 50.9 |
| **कुल** | **1,539** | **100.0** | **5,01,208** | **100.0** | **कुल** | **1,539** | **100.0** | **3,05,453** | **100.0** |

**टिप्पणियां :** 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. 'डी' और 'एडी' क्रमशः जमाओं और अग्रिमों की राशि दर्शाते हैं।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.15 समेकन ने जमाओं के संदर्भ में यूसीबी के वितरण में बदलाव लाने में उत्प्रेरक का भी काम किया है। मॉडल वर्ग, यूसीबी के ग्राहक आधार के विस्तार और प्रति ग्राहक औसत जमा में वृद्धि के साथ, लगातार दाहिनी ओर बढ़ा है। परिणामस्वरूप, ₹25 करोड़ से कम जमाराशि वाले यूसीबी की हिस्सेदारी 2007-08 में 56.7 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 20.5 प्रतिशत रह गई, जबकि इसी अवधि में ₹25 करोड़ और ₹250 करोड़ के बीच की जमाराशि वाले यूसीबी की हिस्सेदारी 37.8 प्रतिशत से बढ़कर 57.6 प्रतिशत हो गई (सारणी V.4 और चार्ट V.8ए)।

V.16 पिछले कुछ वर्षों के रुझान के अनुरूप, ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ की सीमा वाले यूसीबी के अग्रिमों ने 2019-20 के दौरान भी मॉडल वर्ग में जगह पाया, जो जमा संबंधी रुझान के विपरीत है (चार्ट V.8 बी)। इसके साथ ही, फिर भी, वर्ष के दौरान उच्च अग्रिमों की ओर क्रमिक रूप से अग्रसर होना भी स्पष्ट दिखाई देता है। वर्ष 2016-17 में, ₹1,000 करोड़ से अधिक

**चार्ट V.8: यूसीबी का वितरण**

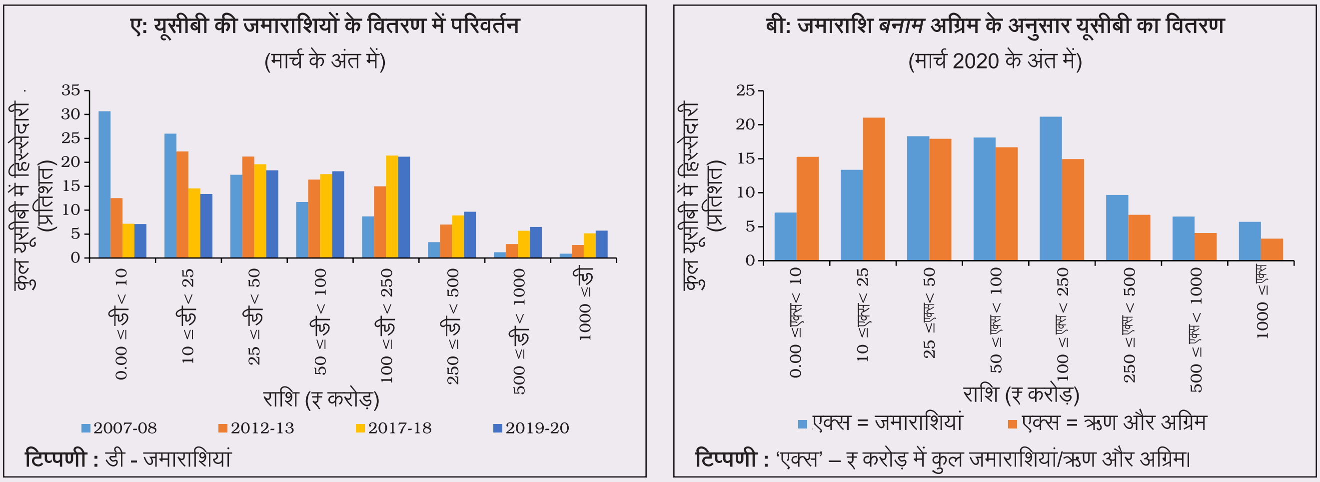


**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

**सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | बकाया राशि (मार्च के अंत में) | | | घट-बढ़ (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018-19 | 2019-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **कुल निवेश (ए+बी)** | **1,48,285 (100.0)** | **1,56,793 (100.0)** | **1,61,941 (100.0)** | **5.7** | **3.3** |
| **ए. एसएलआर निवेश (i से iii)** | **1,34,479 (90.7)** | **1,39,442 (88.9)** | **1,42,118 (87.8)** | **3.7** | **1.9** |
| (i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां | 97,386 (65.7) | 98,170 (62.6) | 96,926 (59.9) | 0.8 | -1.3 |
| (ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | 36,885 (24.9) | 40,594 (25.9) | 44,010 (27.2) | 10.1 | 8.4 |
| (iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | 208 (0.1) | 678 (0.4) | 1183 (0.7) | 226.4 | 74.5 |
| **बी. गैर-एसएलआर निवेश** | **13,806 (9.3)** | **17,351 (11.1)** | **19,822 (12.2)** | **25.7** | **14.2** |

**टिप्पणियां :** 1. वर्ष 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल निवेश का प्रतिशत हैं।
**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

ऋण बही वाले 38 यूसीबी थे; 2019-20 में उनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई।

V.17 आमतौर पर, कम ऋण वृद्धि के समय में, बैंक अपनी लाभप्रदता बनाए रखने के लिए निवेश को बढ़ाते हैं। हालांकि, 2019-20 के दौरान, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में यूसीबी के निवेश में कमी आई क्योंकि उन्हें बढ़ते प्रतिफलों की बदौलत व्यापारिक लाभ हुआ। यूसीबी के मामले में एसएलआर आवश्यकताओं में प्रगतिशील कटौती – भले ही चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी आवश्यकताएं उन पर लागू न हों – ने इस कटौती को और सुविधाजनक बना दिया (सारणी V.5)।

V.18 यूसीबी का ऋण-जमा अनुपात एससीबी की अपेक्षा धन के स्रोत के रूप में जमाराशियों पर उच्च निर्भरता, एवं ऋणों और अग्रिमों के रूप में वितरित आस्तियों की अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी के चलते हमेशा कम रहा है। वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात के मामले में समान पैटर्न देखा जाता है, विमुद्रीकरण के तुरंत बाद के दो वर्षों को छोड़कर (चार्ट V.9 ए)।

**चार्ट V.9: ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात : यूसीबी *बनाम* एससीबी**

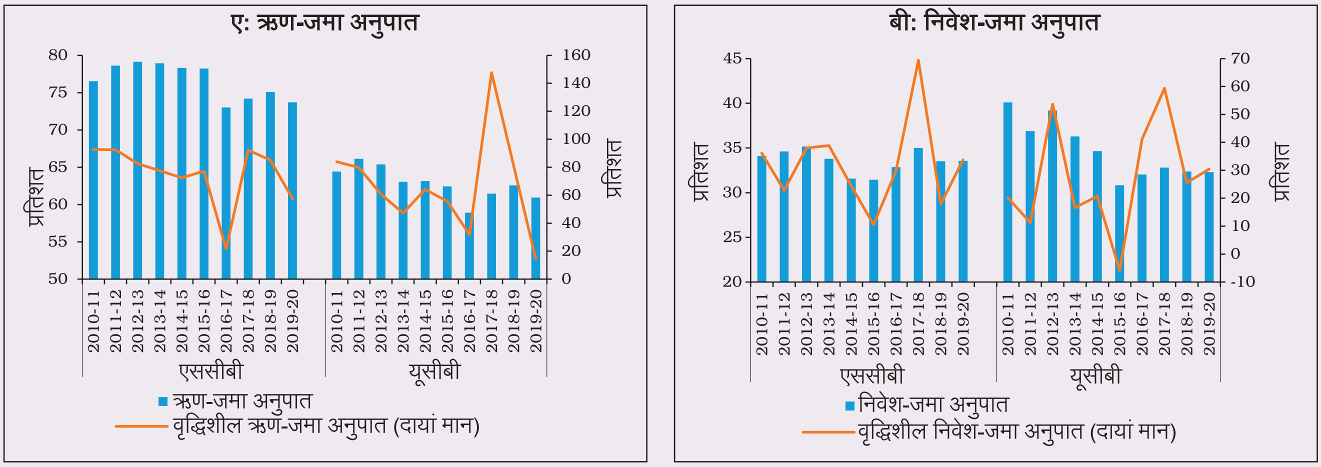


**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.19 यूसीबी का निवेश-जमा अनुपात 2015-16 में पहली बार एससीबी से कम हुआ, क्योंकि डीसीसीबी और एसटीसीबी के पास यूसीबी की शेष राशि को 1 अप्रैल, 2015 से एसएलआर निवेश के रूप में नहीं माना जाने लगा। यूसीबी के मामले में अनुपात, तुलना योग्य वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात के बावजूद, कम होना जारी है (चार्ट V.9 बी)।

### 3.2 सुदृढ़ता

V.20 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, यूसीबी के लिए मौजूदा कैमल्स-आधारित रेटिंग मॉडल की समीक्षा की गई। 1 अप्रैल, 2019 से लागू संशोधित कैमल्स रेटिंग मॉडल यूसीबी को ए / बी+ / बी / सी / डी (कार्य-निष्पादन के घटते क्रम में) की समग्र रेटिंग देता है, जिसमें पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, आय और चलनिधि का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ संकेतकों के माध्यम से किया जाता है, और प्रबंधन एवं प्रणाली तथा नियंत्रणों का मूल्यांकन व्यक्तिपरक विधि से किया जाता है।

V.21 नए पैमाने के आधार पर विश्लेषण करने पर, क्षेत्र में ए, बी+ और बी रेटिंग के साथ शीर्ष रैंकिंग श्रेणियों में आने वाले यूसीबी की मात्रा अधिकांश थी। सबसे कम रेटिंग (अर्थात, डी रेटिंग) वाले यूसीबी की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से बढ़ी है, यद्यपि सावधानी की बात यह है कि पिछले दृष्टिकोण का पैमाना नए पैमाने के साथ सख्ती से तुलना करने योग्य नहीं है (सारणी V.6)।

V.22 अधिकांश यूसीबी 'बी' रेटिंग के अंतर्गत आते हैं (चार्ट V.10)।

### 3.3 पूंजी पर्याप्तता

V.23 बेसल I मानदंडों के तहत, यूसीबी को, एससीबी के बराबर, न्यूनतम 9 प्रतिशत का जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हालांकि, पूंजी संरक्षण बफर और सामान्य इक्विटी टिअर 1 (सीईटी-1) पूंजी अनुपात जैसी अतिरिक्त आवश्यकताएं यूसीबी पर लागू नहीं होती हैं। मार्च 2020 के अंत में, 95 प्रतिशत से ज्यादा यूसीबी ने सीआरएआर को सांविधिक आवश्यकता से ऊपर बनाए रखा (चार्ट V.11)।

**सारणी V.6: रेटिंग-वार यूसीबी का वितरण**

(मार्च 2020 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

| रेटिंग | संख्या | | जमाराशियां | | अग्रिम | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बैंक | कुल में % हिस्सेदारी | राशि | कुल में % हिस्सेदारी | राशि | कुल में % हिस्सेदारी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ए | 153 | 9.9 | 45,024 | 9.0 | 27,463 | 9.0 |
| बी+ | 209 | 13.6 | 99,545 | 19.9 | 60,859 | 19.9 |
| बी | 784 | 50.9 | 2,32,912 | 46.5 | 1,44,851 | 47.4 |
| सी | 314 | 20.4 | 1,00,236 | 20.0 | 60,749 | 19.9 |
| डी | 79 | 5.1 | 23,492 | 4.7 | 11,530 | 3.8 |
| **कुल** | **1,539** | **100.0** | **5,01,208** | **100.0** | **3,05,453** | **100.0** |

**टिप्पणियां :** 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. रेटिंग वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान किए गए निरीक्षण पर आधारित हैं।
4. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।

**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

**चार्ट V.10: रेटिंग श्रेणियों के अनुसार यूसीबी की संख्या और कारोबार का वितरण**

(मार्च के अंत में)

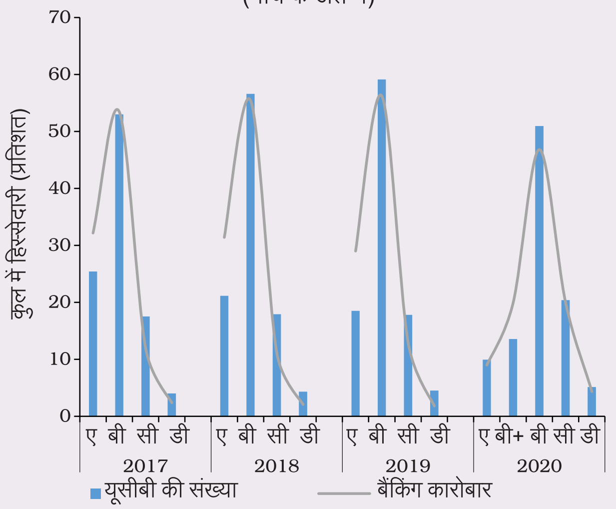


**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

चार्ट V.11: सीआरएआर के अनुसार यूसीबी का वितरण
(मार्च 2020 के अंत में)

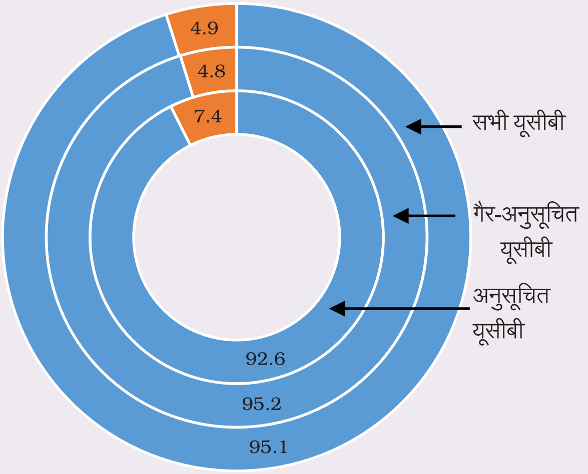


**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.24 एनएसयूसीबी, जिसकी विशेषता एक छोटे कारोबार आकार के रूप में है, की पूंजीगत स्थितियां एसयूसीबी की तुलना में मजबूत हैं। 2019-20 के दौरान, 4.8 प्रतिशत एनएसयूसीबी का सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम था जो पिछले वर्ष 3.7 प्रतिशत था, जबकि एसयूसीबी के मामले में यह आंकड़ा लगभग 7.4 प्रतिशत पर रहा। हालांकि, सकारात्मक पक्ष को देखें तो प्रत्येक श्रेणी में लगभग 84 प्रतिशत यूसीबी ने वर्ष के दौरान सीआरएआर को 12 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा (सारणी V.7)।

सारणी V.7: सीआरएआर-वार यूसीबी का वितरण
(मार्च 2020 के अंत में)

(संख्या)

| सीआरएआर (प्रतिशत में) | अनुसूचित यूसीबी | गैर-अनुसूचित यूसीबी | सभी यूसीबी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| सीआरएआर < 3 | 4 | 41 | 45 |
| 3 <= सीआरएआर < 6 | 0 | 12 | 12 |
| 6 <= सीआरएआर < 9 | 0 | 18 | 18 |
| 9 <= सीआरएआर < 12 | 5 | 163 | 168 |
| 12 <= सीआरएआर | 45 | 1,251 | 1,296 |
| **कुल** | **54** | **1,485** | **1,539** |

**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं।

**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

## 3.4 आस्ति गुणवत्ता

V.25 ऐतिहासिक रूप से, यूसीबी का एनपीए स्तर एससीबी की अपेक्षा उच्च था। हालांकि, 2015-16 के बाद से, आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) के परिणामस्वरूप एससीबी में एनपीए को पहचानने में हुई वृद्धि की वजह से यह स्थिति उलट गई, जबकि समय के साथ-साथ यूसीबी की आस्ति में क्षति धीरे-धीरे बढ़ने लगी। वर्ष 2019-20 में यूसीबी का जीएनपीए अनुपात एससीबी की अपेक्षा पुनः अधिक हो गया। लगातार दो वर्ष एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की बदौलत यह परिवर्तन हुआ जबकि यूसीबी का स्लिपेज बढ़ा (चार्ट V.12)।

V.26 वर्ष 2019-20 में, एसयूसीबी और एनएसयूसीबी दोनों की आस्ति गुणवत्ता खराब हो गई, जिसमें बाद वाले के जीएनपीए अनुपात में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। एनपीए में अंशतः ऋणों और अग्रिमों में मंद वृद्धि एवं कमजोर तुलन पत्रों के कारण वृद्धि हुई। (सारणी V.8)।

V.27 जहां 2019-20 के दौरान सकल एनपीए और किए गए प्रावधान दोनों में वृद्धि हुई, वहीं बाद वाले में हुई वृद्धि पहले वाले

चार्ट V.12: अनर्जक आस्तियां : यूसीबी *बनाम* एससीबी

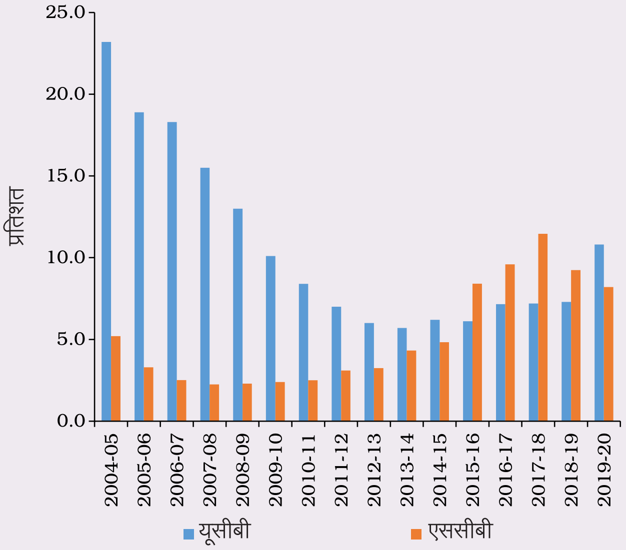


**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

**सारणी V.8: यूसीबी की अनर्जक आस्तियां**

(मार्च के अंत में)

| क्र. | मदें | अनुसूचित यूसीबी | | गैर-अनुसूचित यूसीबी | | सभी यूसीबी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सकल एनपीए (₹ करोड़) | 9,610 | 14,042 | 12,483 | 18,968 | 22,093 | 33,010 |
| 2 | सकल एनपीए अनुपात (%) | 6.6 | 9.9 | 8.0 | 11.5 | 7.3 | 10.8 |
| 3 | निवल एनपीए (₹ करोड़) | 4,057 | 5,695 | 5,598 | 8,899 | 9,656 | 14,594 |
| 4 | निवल एनपीए अनुपात (%) | 2.9 | 4.3 | 3.8 | 5.8 | 3.3 | 5.1 |
| 5 | प्रावधानीकरण (₹ करोड़) | 5,729 | 8,573 | 8,290 | 11,348 | 14,020 | 19,921 |
| 6 | प्रावधान कवरेज अनुपात (%) | 59.6 | 61.1 | 66.4 | 59.8 | 63.5 | 60.3 |

**टिप्पणी :** वर्ष 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।

**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

में हुई वृद्धि के पूर्णतः अनुकूल नहीं थी, नतीजतन निवल एनपीए अनुपात में वृद्धि हुई (चार्ट V.13)।

## 3.5 वित्तीय प्रदर्शन और लाभप्रदता

V.28 यूसीबी के समग्र परिचालन लाभ पर वर्ष 2019-20 में गहरी चोट पड़ी क्योंकि निवेश में गिरावट और एनपीए में उच्च वृद्धि की वजह से लगातार दूसरे वर्ष भी उनकी ब्याज आय में कमी आ गयी जो कि उनकी कुल आय का लगभग 89 प्रतिशत है। इसकी वजह ब्याज और ब्याजेतर आय व्यय में वृद्धि भी है। इन कारकों में आकस्मिकताओं के लिए उच्च प्रावधान शामिल थे, जो वर्ष के दौरान दोगुने से भी अधिक हो गए और इसके परिणामस्वरूप समेकित तुलन-पत्र में निवल हानि हुई। गिरावट मुख्य रूप से एसयूसीबी द्वारा संचालित थी, हालांकि एनएसयूसीबी के अत्यल्प मुनाफे ने एक आशा की किरण प्रदान की (सारणी V.9)।

**चार्ट V.13: एनपीए और पीसीआर - यूसीबी**

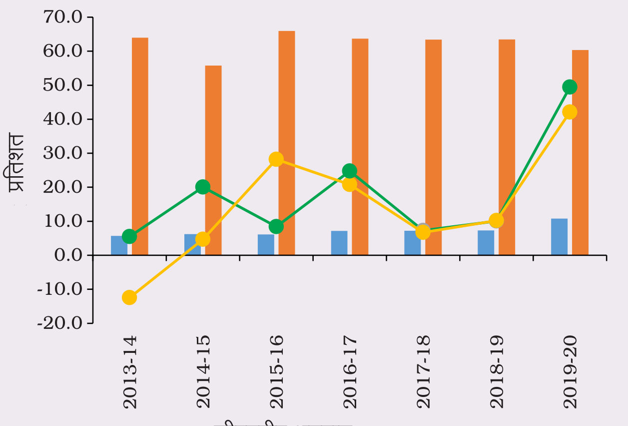


**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

**सारणी V.9: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | अनुसूचित यूसीबी | | गैर-अनुसूचित यूसीबी | | सभी यूसीबी | | सभी यूसीबी घट-बढ़ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2019-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ए. कुल आय [i+ii]** | **23,390 (100.0)** | **20,126 (100.0)** | **28,670 (100.0)** | **30,082 (100.0)** | **52,060 (100.0)** | **50,208 (100.0)** | **-3.6** |
| i. ब्याज से होने वाली आय | 20,790 (88.9) | 16,955 (84.2) | 27,108 (94.6) | 27,893 (92.7) | 47,898 (92.0) | 44,848 (89.3) | -6.4 |
| ii. ब्याज से इतर होने वाली आय | 2,600 (11.1) | 3,170 (15.8) | 1,562 (5.4) | 2,189 (7.3) | 4,162 (8.0) | 5,359 (10.7) | 28.8 |
| **बी. कुल व्यय [i+ii]** | **18,994 (100.0)** | **20,209 (100.0)** | **24,362 (100.0)** | **25,869 (100.0)** | **43,356 (100.0)** | **46,078 (100.0)** | **6.3** |
| i. ब्याज से होने वाले व्यय | 13,719 (72.2) | 14,674 (72.6) | 17,411 (71.5) | 18,567 (71.8) | 31,131 (71.8) | 33,241 (72.1) | 6.8 |
| ii. ब्याज से इतर होने वाले व्यय | 5,274 (27.8) | 5,535 (27.4) | 6,951 (28.5) | 7,302 (28.2) | 12,225 (28.2) | 12,837 (27.9) | 5.0 |
| *जिसमें से:* स्टाफ पर व्यय | 2,615 | 2,841 | 3,607 | 3,890 | 6,223 | 6,731 | 8.2 |
| **सी. लाभ** | | | | | | | |
| i. परिचालनगत लाभ की राशि | 3,696 | -866 | 4,141 | 4,036 | 7,837 | 3,170 | -59.6 |
| ii. प्रावधान, आकस्मिकताएं | 1,322 | 4,251 | 1,447 | 2,976 | 2,769 | 7,227 | 161.0 |
| iii. करों के लिए प्रावधान | 830 | 265 | 988 | 811 | 1,818 | 1,076 | -40.8 |
| iv. कर पूर्व निवल लाभ की राशि | 2,590 | -4,921 | 2,771 | 1,192 | 5,362 | -3,729 | -169.6 |
| v. कर पश्चात निवल लाभ की राशि | 1,761 | -5,186 | 1,783 | 381 | 3,544 | -4,806 | -235.6 |

**टिप्पणियां :** 1. वर्ष 2019-20 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।

**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.29 आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) में एसयूसीबी की कृत्रिम लाभप्रदता स्पष्ट थी, जहां 15 साल से अधिक की अवधि के बाद आरओए ऋणात्मक हो गया। वर्ष 2000-01 से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) सबसे कम दर्ज किया गया था। घटती आय की वजह से लागत-आय अनुपात बढ़ गया। जहां एनएसयूसीबी के लाभप्रदता संकेतक भी खराब हो गए, वहीं आरओए और आरओई के मामले में एसयूसीबी की तुलना में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, जो पिछले वर्ष की स्थिति के उलट था (सारणी V.10 और चार्ट V.14)।

**सारणी V.10: यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक**

(प्रतिशत)

| संकेतक | अनुसूचित यूसीबी | | गैर अनुसूचित यूसीबी | | सभी यूसीबी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आस्तियों पर प्रतिलाभ | 0.64 | -1.80 | 0.59 | 0.12 | 0.61 | -0.79 |
| इक्विटी पर प्रतिलाभ | 8.12 | -24.53 | 6.52 | 1.35 | 7.23 | -9.72 |
| निवल ब्याज मार्जिन | 2.57 | 0.79 | 3.21 | 2.88 | 2.91 | 1.90 |

**टिप्पणी**: वर्ष 2019-20 के आंकड़े अनंतिम हैं।

**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

### 3.6 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

V.30 यूसीबी को समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र की ऋण समतुल्य राशि (सीईओबीएसई), जो भी अधिक हो, का 40 प्रतिशत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी लक्ष्य हासिल करना अपेक्षित है। इसमें कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत अग्रिमों का अनिवार्य उप-लक्ष्य शामिल है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए यूसीबी का उधार ऐतिहासिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान, पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कुल ऋण में इसकी हिस्सेदारी 6 प्रतिशत अंक बढ़ी (सारणी V.11)। इस प्रकार, यूसीबी ने वर्ष 2019-20 में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य ₹31,700 करोड़ या 10.38 प्रतिशत अधिक हासिल किया। संयोग से, तकनीकी चुनौतियों के कारण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) में यूसीबी की भागीदारी कम है। आगे चलकर, उनकी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने की हिस्सेदारी

**चार्ट V.14 : लाभप्रदता संकेतक - एसयूसीबी *बनाम* एनएसयूसीबी**

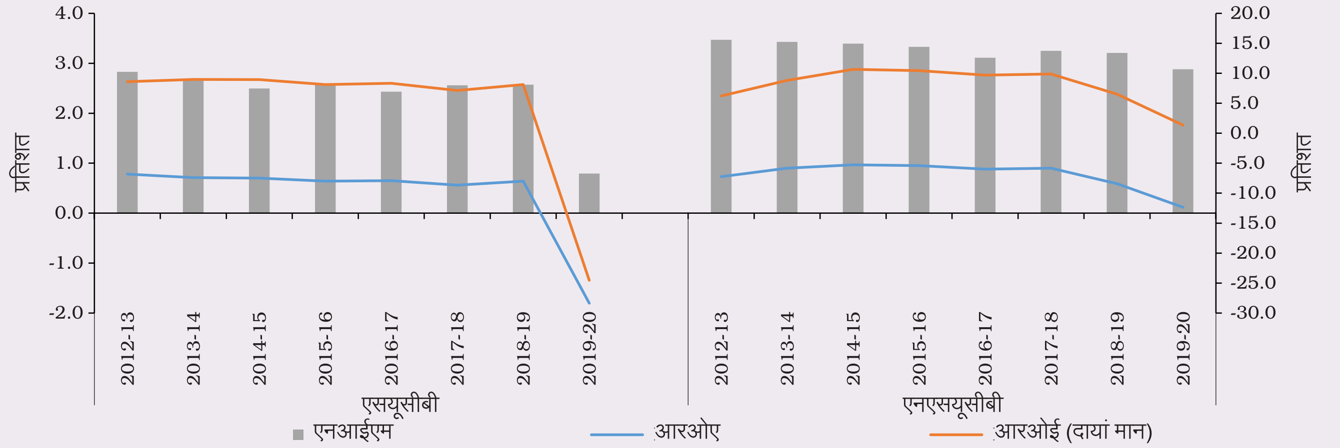


**स्रोत :** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

एएनबीसी या सीईओबीएसई के 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के संशोधित लक्ष्य के अनुसार और बढ़ने की उम्मीद है, जिसका अनुपालन 31 मार्च 2024 तक परिभाषित अंतरिम माइलस्टोन्स[8] के साथ किया जाना है।

**सारणी V.11: यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण का संघटन**

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार)

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम | |
|---|---|---|
| | राशि | कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. कृषि [(i)+(ii)+(iii)] | 11,716 | 3.8 |
| (i) कृषि ऋण | 8,682 | 2.8 |
| (ii) कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर | 500 | 0.2 |
| (iii) सहायक गतिविधियाँ | 2,534 | 0.8 |
| 2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम [(i) + (ii) + (iii) + (iv)] | 95,102 | 31.1 |
| (i) सूक्ष्म उद्यम | 31,497 | 10.3 |
| (ii) लघु उद्यम | 49,569 | 16.2 |
| (iii) मध्यम उद्यम | 13,648 | 4.5 |
| (iv) केवीआई को अग्रिम | 387 | 0.1 |
| 3. निर्यात ऋण | 378 | 0.1 |
| 4. शिक्षा | 2,434 | 0.8 |
| 5. आवास | 25,359 | 8.3 |
| 6. सामाजिक अवसंरचना | 923 | 0.3 |
| 7. अक्षय ऊर्जा | 1,476 | 0.5 |
| 8. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 'अन्य' श्रेणी | 16,496 | 5.4 |
| **9. कुल (1 से 8)** | **1,53,886** | **50.4** |
| *जिसमें से,* | | |
| **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर तबकों को दिया गया ऋण** | **35,764** | **11.7** |

**टिप्पणियां :** 1. 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. प्रतिशत यूसीबी के कुल ऋण के संदर्भ में हैं।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

**स्रोत:** भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

## 4. ग्रामीण सहकारी संस्थान

V.31 ग्रामीण सहकारी संस्थानों की स्थापना किसानों को सस्ती ऋण सुपुर्दगी से जुड़ी 'हर एक' समस्या के समाधान के लिए की गई थी और इन्हें मोटे तौर पर अल्पावधि और दीर्घावधि संस्थानों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को अलग-अलग दायित्व सौंपे गए हैं। पहला किसानों और ग्रामीण कारीगरों को मुख्य रूप से अल्पावधि फसल ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करते हैं, जबकि दूसरा भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण और लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग और आवास समेत कृषि में निवेश करने के लिए आमतौर पर लंबी अवधि के ऋण प्रदान करते हैं।

V.32 मार्च 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सहकारी संस्थानों की कुल आस्तियों में 95 प्रतिशत हिस्सेदारी अल्पावधि सहकारी संस्थानों की है जिसमें राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) शामिल हैं। यह हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है (सारणी V.12 और चार्ट V.15)।

### 4.1 अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थान

V.33 अधिकांश राज्यों में अल्पावधि सहकारी संस्थानों को त्रिस्तरीय संरचना में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें शीर्ष स्तर पर एसटीसीबी, मध्यवर्ती स्तर पर डीसीसीबी और सबसे निचले स्तर पर पीएसीएस हैं। हालांकि, दस राज्यों[9] और चार केंद्र शासित प्रदेशों में, अल्पावधि सहकारी संस्थान द्वि-स्तरीय संरचना के माध्यम से परिचालन करते हैं, जिसमें एसटीसीबी शीर्ष स्तर पर और पीएसीएस जमीनी स्तर पर होता है।

[8] 13 मार्च 2020 को जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, यूसीबी के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य संशोधित किए गए हैं और उन्हें बढ़ाकर एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का 75 प्रतिशत कर दिया गया है। यूसीबी को 31 मार्च 2024 तक उपरोक्त लक्ष्य का अनुपालन करना होगा, जिसमें से एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, के वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 के मार्च अंत तक क्रमशः 45 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना शामिल है।

[9] रिज़र्व बैंक की अंतिम मंजूरी के बाद, केरल के चौदह डीसीसीबी में से तेरह (मलप्पुरम डीसीसीबी को छोड़कर) को 29 नवंबर 2019 को केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया।

**सारणी V.12 : ग्रामीण सहकारी संस्थानों का प्रोफाइल**
(मार्च 2019 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | अल्पावधि | | | दीर्घावधि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | एसटीसीबी | डीसीसीबी | पीएसीएस | एससीएआरडीबी (अ) | पीसीएआरडीबी (अ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ए. सहकारी संस्थानों की संख्या** | 33 | 363 | 95,995 | 13 | 602 |
| **बी. तुलन-पत्र के संकेतक** | | | | | |
| i स्वाधिकृत निधियां (पूंजी + आरक्षित निधियां) | 18,545 | 43,583 | 42,196 | 4,489 | 2,810 |
| ii. जमाराशियां | 1,35,392 | 3,78,248 | 1,33,010 | 2,434 | 1,303 |
| iii. उधारियां | 79,358 | 97,678 | 1,38,922 | 15,098 | 16,104 |
| iv. ऋण एवं अग्रिम | 1,48,625 | 3,00,034 | 2,05,895 | 20,651 | 15,594 |
| v. कुल देयताएं/आस्तियां | 2,48,949 | 5,69,698 | 2,96,554 | 27,997 | 30,108 |
| **सी. वित्तीय प्रदर्शन** | | | | | |
| i. लाभ में रहने वाले संस्थान | | | | | |
| ए. संख्या | 30 | 303 | 46,930 | 8 | 271 |
| बी. लाभ की राशि | 1,313 | 1,699 | 5,949 | 124 | 103 |
| ii. हानि में रहने वाले संस्थान | | | | | |
| ए. संख्या | 3 | 60 | 37,731 | 5 | 331 |
| बी. हानि की राशि | 147 | 986 | 7,666 | 173 | 545 |
| iii. समग्र लाभ (+)/हानि (-) | 1,166 | 713 | -1,717 | -49 | -442 |
| **डी. अर्नजक आस्तियां** | | | | | |
| i. राशि | 6,420 | 35,546 | 51,953# | 5,477 | 6,121 |
| ii. बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में | 4 | 12 | 45.16## | 27 | 39 |
| **ई. मांग की तुलना में ऋण की वसूली का अनुपात** (प्रतिशत)** | 94 | 72 | 74.5 | 46 | 41 |

**टिप्पणियां:** 1. एसटीसीबी : राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस : प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी; एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।
2. #: कुल अतिदेय। ##: कुल बकाया की तुलना में अतिदेय का प्रतिशत।
3. (अ): आंकड़े अनंतिम हैं।
4. **: यह अनुपात बकाया अर्नजक ऋण राशि के उस हिस्से को दर्शाता है जिसकी वसूली की जा चुकी है।

**स्रोत** : नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

V.34 ऐतिहासिक रूप से, एसटीसीबी और डीसीसीबी के धन के प्रमुख स्रोत जमाराशियां हैं। दूसरी तरफ, पीएसीएस ज्यादातर एसटीसीबी और डीसीसीबी की उधारियों और स्वाधिकृत निधियों पर निर्भर रहते हैं, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में जमाराशि की हिस्सेदारी बढ़ी है (चार्ट V.16)।

**चार्ट V.15 : अल्पावधि *बनाम* दीर्घावधि सहकारी संस्थानों का सापेक्ष योगदान**

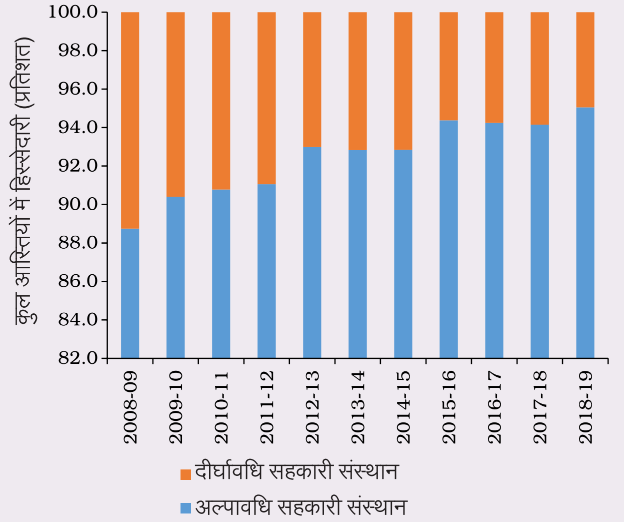


**स्रोत** : नाबार्ड

**चार्ट V.16: संसाधन संरचना : अल्पावधि सहकारी संस्थान**
(मार्च के अंत में)

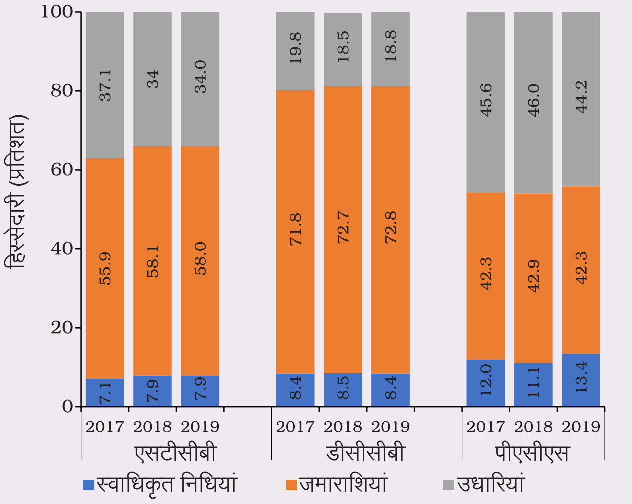


**स्रोत :** नाबार्ड एवं एनएएफ़एससीओबी

### 4.1.1 राज्य सहकारी बैंक

V.35 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जो अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संरचना में शीर्ष संस्था है, जमाराशियाँ जुटाते हैं और डीसीसीबी एवं पीएसीएस को चलनिधि और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। एसटीसीबी भी संबंधित डीसीसीबी और पीएसीएस के फसली ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाबार्ड जैसी उच्च पुनर्वित्त संस्थाओं से पुनर्वित्त सहायता जुटाते हैं। समय के साथ-साथ, एसटीसीबी ने विशेष रूप से कृषि में, और आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में निवेश के लिए मध्यावधि ऋण प्रदान करने की दिशा में अपने परिचालन में विविधता लाई है।

*तुलन-पत्र परिचालन*

V.36 वर्ष 2018-19 में, देनदारी पक्ष में जमाराशियों और आस्ति पक्ष में अग्रिमों की वजह से एसटीसीबी के समेकित तुलन-पत्र में विस्तार हुआ, जिनमें से दोनों मिलकर तुलन-पत्र के आकार का आधे से ज्यादा हो जाते हैं (सारणी V.13)।

V.37 वर्ष 2019-20 के दौरान, नवंबर 2019 में केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ 13 डीसीसीबी के समामेलन से एसटीसीबी के तुलन-पत्र शिफ्ट पर प्रभाव पड़ा (सारणी V.14)।

*लाभप्रदता*

V.38 एसटीसीबी का निवल लाभ पिछले वर्ष गिरने के बाद वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़ा। परिचालन लाभ में भी वृद्धि हुई क्योंकि प्रावधानों और आकस्मिकताओं में बढ़ोतरी के बावजूद व्यय की तुलना में आय, विशेष रूप से ब्याज आय, में वृद्धि हुई थी। कुछ निवेशों के मामले में स्वीकृत अतिरिक्त आय को अपलिखित करने और एकबारगी निपटान योजना के कार्यान्वयन के कारण केरल में एसटीसीबी के परिचालन व्यय में 686 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी V.15)।

**सारणी V.13: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | मार्च के अंत की स्थिति | | घट-बढ़ (%) | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2017-18 | 2018-19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **देयताएं** | | | | |
| 1. पूंजी | 5,542<br>(2.4) | 6,104<br>(2.4) | 7.4 | 10.1 |
| 2. आरक्षित निधियाँ | 11,240<br>(4.9) | 12,441<br>(4.9) | 9.2 | 10.7 |
| 3. जमाराशियां | 1,23,534<br>(54.4) | 1,35,392<br>(54.3) | 1.2 | 9.6 |
| 4. उधारियां | 72,170<br>(31.8) | 79,358<br>(31.8) | -10.8 | 10.0 |
| 5. अन्य देयताएं | 14,355<br>(6.3) | 15,654<br>(6.2) | -1.1 | 9.0 |
| **आस्तियां** | | | | |
| 1. नकद और बैंक में जमाशेष | 9,288<br>(4.0) | 11,602<br>(4.6) | -3.9 | 24.9 |
| 2. निवेश | 74,398<br>(32.7) | 76,458<br>(30.7) | -12.1 | 2.8 |
| 3. ऋण एवं अग्रिम | 1,31,934<br>(58.1) | 1,48,625<br>(59.7) | 3.8 | 12.7 |
| 4. संचित हानि | 527<br>(0.2) | 471<br>(0.1) | -12.9 | -10.6 |
| 5. अन्य आस्तियां | 10,694<br>(4.7) | 11,793<br>(4.7) | -2.6 | 10.3 |
| **कुल देयताएं/आस्तियां** | **2,26,841<br>(100.0)** | **2,48,949<br>(100.0)** | **-2.6** | **9.7** |

**टिप्पणियां:** 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

**स्रोत :** नाबार्ड।

**सारणी V.14 : अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतक**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| जमाराशियां | 79,564<br>(3.0) | 90,277<br>(13.5) | 98,768<br>(9.4) | 1,10,559<br>(11.9) | 1,87,456<br>(69.6) |
| ऋण | 1,07,360<br>(3.4) | 1,10,934<br>(3.3) | 1,17,989<br>(6.4) | 1,31,399<br>(11.4) | 1,94,310<br>(47.9) |
| एसएलआर निवेश | 24,220<br>(4.0) | 26,225<br>(8.3) | 33,411<br>(27.4) | 33,130<br>-(0.8) | 54,181<br>(63.5) |
| ऋण और एसएलआर निवेश का जोड़ | 1,31,580<br>(3.5) | 1,37,159<br>(4.2) | 1,51,400<br>(10.4) | 1,64,529<br>(8.7) | 2,48,492<br>(51.0) |

**टिप्पणियां :** 1. आंकड़े संगत वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर को दर्शाते हैं।

**स्रोत :** भा.रि. बैंक अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रपत्र-बी।

**सारणी V.15: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | के दौरान | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ए. आय (i+ii)** | **15,477 (100.0)** | **16,563 (100.0)** | **1.5** | **7.0** |
| i. ब्याज से होने वाली आय | 14,798 (95.6) | 15,952 (96.3) | 0.7 | 7.8 |
| ii. अन्य आय | 679 (4.5) | 611 (3.8) | 22.1 | -10.0 |
| **बी. व्यय (i+ii+iii)** | **14,447 100.0** | **15,396 100.0** | **1.1** | **6.6** |
| i. व्यय किया गया ब्याज | 11,450 (79.2) | 11,729 (76.1) | -0.6 | 2.4 |
| ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं | 1,078 (7.4) | 1,341 (8.7) | 25.3 | 24.4 |
| iii. परिचालनगत व्यय | 1,919 (13.2) | 2,326 (15.1) | 0.2 | 21.2 |
| *जिसमें से:* वेतन बिल | 1,212 (10.5) | 1,303 (11.1) | 5.6 | 7.5 |
| **सी. लाभ** | | | | |
| i. परिचालनगत लाभ | 1,818 | 2,217 | 22.7 | 21.9 |
| ii. निवल लाभ | 1,030 | 1,166 | 8.2 | 13.2 |

**टिप्पणियां :** 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं का ₹1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

**स्रोत :** नाबार्ड।

*आस्ति गुणवत्ता*

V.39 वर्ष 2018-19 के दौरान एसटीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में, हालांकि, मामूली सुधार हुआ। तकनीकी बट्टे खातों और वसूली में सुधार होने से, विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा ऋण माफी योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद, हानि अस्तियों को नियंत्रित करने में मदद मिली (सारणी V.16)।

V.40 वर्ष 2018-19 के दौरान एसटीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार यूसीबी के बिगड़ते जीएनपीए अनुपात के विपरीत था, यद्यपि, एससीबी के एनपीए में भारी गिरावट उस पर हावी रही (चार्ट V.17)।

V.41 क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, एनपीए अनुपात में अखिल भारतीय स्तर पर कमी उत्तर-पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों के कारण

**सारणी V.16 : राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | मार्च के अंत की स्थिति | | घट-बढ़ (%) | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2017-18 | 2018-19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)** | 6,223 | 6,420 | 20.1 | 3.2 |
| i. अवमानक | 2,293 (36.8) | 2,442 (38.0) | 44.0 | 6.5 |
| ii. संदिग्ध | 2,539 (40.7) | 2,786 (43.4) | 4.9 | 9.7 |
| iii. हानि | 1,397 (22.4) | 1,192 (18.5) | 19.6 | -14.7 |
| **बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)** | **4.7** | **4.3** | - | - |
| **सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)** | **94.2** | **93.9** | - | - |

**टिप्पणियां :** 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं (%)।
2. निरपेक्ष संख्याओं का पूर्णांकन किया गया है, जिसके कारण प्रतिशत में थोड़ी भिन्नता हो सकती है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

**स्रोत :** नाबार्ड।

हुई थी। उत्तरी क्षेत्र में, राज्यों ने न्यूनतम एनपीए अनुपात रिपोर्ट करना जारी रखा, जबकि दक्षिणी राज्यों ने उच्चतम मांग की तुलना में वसूली अनुपात को रिपोर्ट करने में उत्तरी क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया (चार्ट V.18ए और V.18बी)।

**चार्ट V.17: जीएनपीए अनुपात : तुलना**

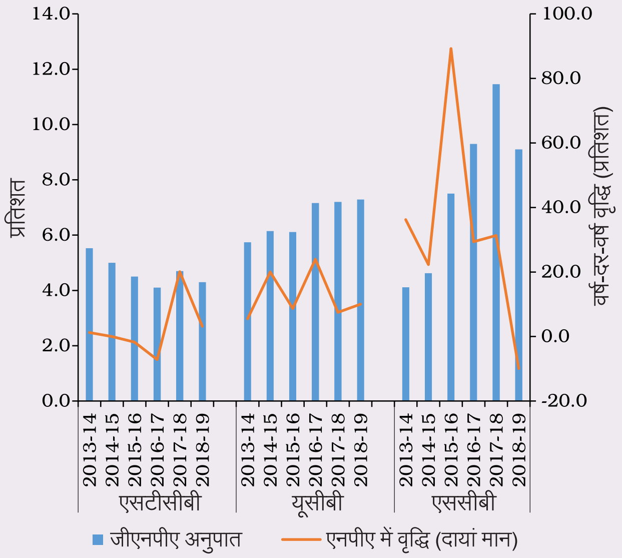


**स्रोत :** नाबार्ड।

चार्ट V.18: एसटीसीबी - क्षेत्रीय स्वरूप
(मार्च के अंत में)

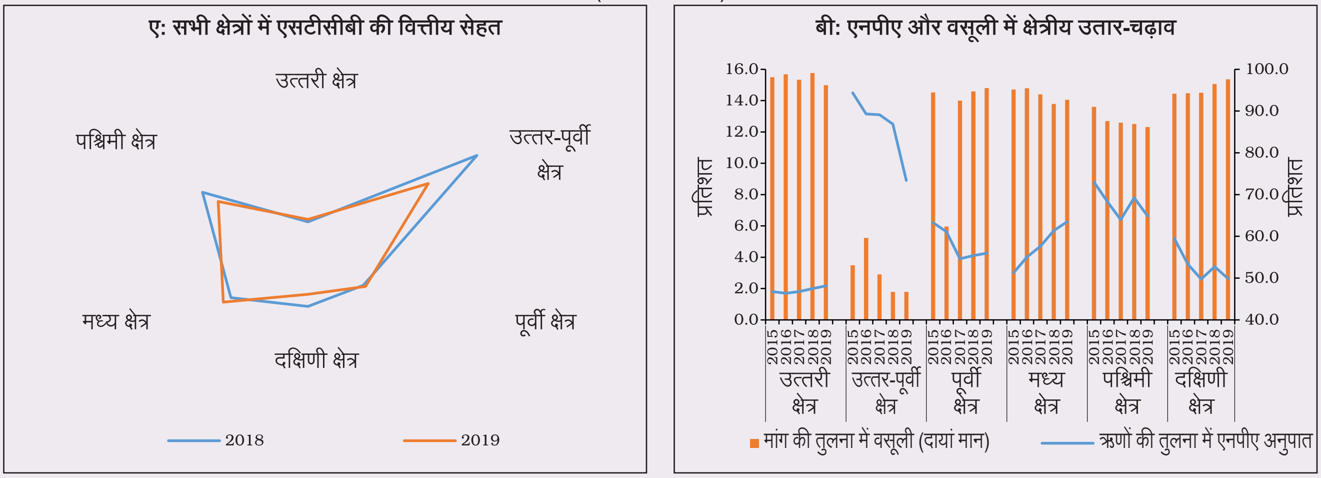


**टिप्पणी**: रिंग में विस्तार एसटीसीबी की वित्तीय सेहत ख़राब होने का संकेत देता है। वित्तीय सेहत एनपीए अनुपात द्वारा दर्शाई गई है।
**स्रोत:** नाबार्ड।

### 4.1.2 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

V.42 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी), जो अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संरचना में मध्यवर्ती स्तर पर है, जनता से जमा राशि जुटाते हैं और पीएसीएस के साथ-साथ उन्हें भी ऋण प्रदान करते हैं। डीसीसीबी की उधारियों में एसटीसीबी से प्राप्त ऋण और अग्रिम तथा नाबार्ड से प्रत्यक्ष पुनर्वित्त शामिल हैं। उनके पास एक विस्तृत जमाकर्ता आधार है, जिन्हें व्यापक शाखा नेटवर्क के माध्यम से जुटाया गया है। तदनुसार, उच्चतर ऋण संवितरण के बावजूद डीसीसीबी का ऋण-जमा अनुपात सामान्यतया एसटीसीबी से कम है (चार्ट V.19)।

*तुलन-पत्र परिचालन*

V.43 वर्ष 2018-19 के दौरान डीसीसीबी के समेकित तुलन-पत्र में त्वरित विस्तार जमाराशियों में वृद्धि की वजह से हुआ था जो देनदारियों का 66 प्रतिशत था। आस्ति पक्ष में ऋण और अग्रिम एवं निवेश में तेजी जमा वृद्धि के अनुरूप थी (सारणी V.17)।

*लाभप्रदता*

V.44 वर्ष 2018-19 में ह्रास की गति तेज होने से डीसीसीबी का निवल लाभ लगातार तीसरे वर्ष घट गया। यद्यपि, ब्याज और ब्याजेतर आय दोनों में सुधार हुआ, तथापि प्रावधानों और

चार्ट V.19: ऋण-जमा अनुपात : एसटीसीबी और डीसीसीबी

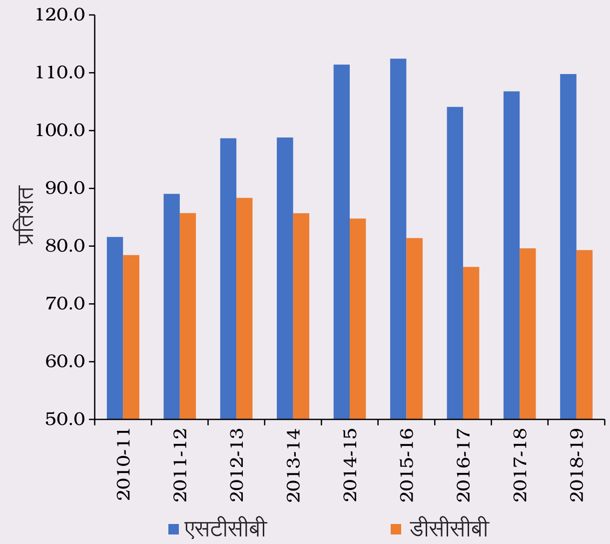


**स्रोत:** नाबार्ड।

**सारणी V.17: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | मार्च के अंत की स्थिति | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2017-18 | 2018-19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **देयताएं** | | | | |
| 1. पूंजी | 19,693<br>(3.7) | 21,447<br>(3.7) | 5.5 | 8.9 |
| 2. आरक्षित निधियाँ | 20,931<br>(3.9) | 22,136<br>(3.8) | 5.9 | 5.8 |
| 3. जमाराशियां | 3,47,967<br>(66.2) | 3,78,248<br>(66.3) | 5.2 | 8.7 |
| 4. उधारियाँ | 90,312<br>(17.1) | 97,678<br>(17.1) | -1.2 | 8.2 |
| 5. अन्य देयताएं | 46,254<br>(8.8) | 50,189<br>(8.8) | 3.5 | 8.5 |
| **आस्तियां** | | | | |
| 1. नकद एवं बैंकों में जमा शेष | 27,230<br>(5.1) | 29,203<br>(5.1) | -17.2 | 7.2 |
| 2. निवेश | 1,84,883<br>(35.2) | 1,96,227<br>(34.4) | 0.1 | 6.1 |
| 3. ऋण एवं अग्रिम | 2,77,079<br>(52.7) | 3,00,034<br>(52.6) | 9.7 | 8.3 |
| 4. संचित हानि | 5807<br>(1.1) | 6,654<br>(1.1) | 10.8 | 14.6 |
| 5. अन्य आस्तियां | 30,158<br>(5.7) | 37,580<br>(6.5) | 0.3 | 24.6 |
| **कुल देयताएं/आस्तियां** | **5,25,157**<br>**(100.0)** | **5,69,698**<br>**(100.0)** | **3.9** | **8.5** |

**टिप्पणियां:** 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

**स्रोत :** नाबार्ड।

आकस्मिकताओं, और परिचालन खर्च, विशेष रूप से वेतन बिल में उछाल पूर्व पर हावी रहा (सारणी V.18)। डीसीसीबी पर, सामान्यतया जिला स्तर पर उपस्थिति के कारण, एसटीसीसीबी की तुलना में वेतन बिलों का अधिक बोझ होता है (चार्ट V.20)।

*आस्ति गुणवत्ता*

V.45 अवमानक और संदिग्ध आस्तियों में वृद्धि होने से वर्ष 2018-19 में डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में मामूली रूप से

**सारणी V.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | के दौरान | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ए. आय ( i+ii)** | **39,437**<br>**(100.0)** | **41,498**<br>**(100.0)** | **2.3** | **5.2** |
| i. ब्याज से होने वाली आय | 37,669<br>(95.5) | 39,426<br>(95.0) | 2.9 | 4.7 |
| ii. अन्य आय | 1,768<br>(4.6) | 2,072<br>(4.9) | -9.5 | 17.2 |
| **बी. व्यय (i+ii+iii)** | **38,587**<br>**(100.0)** | **40,785**<br>**(100.0)** | **2.5** | **5.7** |
| i. व्यय किया गया ब्याज | 26,788<br>(69.4) | 27,561<br>(67.5) | -0.2 | 2.9 |
| ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं | 3,476<br>(9.0) | 3,834<br>(9.4) | 15.1 | 10.3 |
| iii. परिचालनगत व्यय | 8,323<br>(21.5) | 9,391<br>(23.0) | 7.2 | 12.8 |
| *जिसमें से,* वेतन बिल | 5,222<br>(13.5) | 5,811<br>(14.2) | 4.9 | 11.3 |
| **सी. लाभ** | | | | |
| i. परिचालनगत लाभ | 3,812 | 3,927 | 14.4 | 3.0 |
| ii. निवल लाभ | 850 | 713 | -6.6 | -16.1 |

**टिप्पणियां:** 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष–दर–वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

**स्रोत :** नाबार्ड।

गिरावट आ गई। हालांकि, राज्य सरकारों से ऋण माफी योजना के भुगतान की प्राप्ति पर हानि आस्तियों में कमी आई (सारणी V.19)।

**चार्ट V.20: कुल व्यय में परिचालन व्यय का हिस्सा**

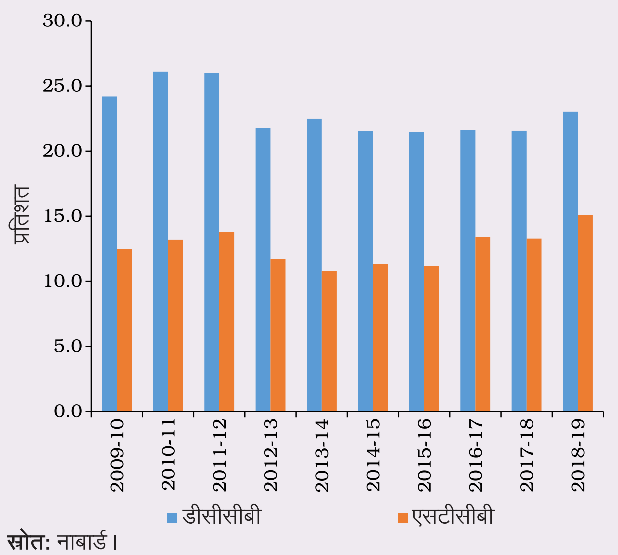


**स्रोत:** नाबार्ड।

**सारणी V.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | मार्च के अंत की स्थिति | | प्रतिशत घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2017-18 | 2018-19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)** | **30,894** | **35,546** | **17.0** | **15.1** |
| i. अवमानक | 15,094 (48.8) | 17,911 (50.3) | 26.0 | 18.7 |
| ii. संदिग्ध | 13,232 (42.8) | 15,142 (42.5) | 9.9 | 14.4 |
| iii. हानि | 2,568 (8.3) | 2,493 (7) | 7.4 | -2.9 |
| **बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)** | **11.2** | **11.8** | - | - |
| **सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)** | **71.1** | **72.0** | - | - |

**टिप्पणियां :** 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष–दर–वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं का ₹1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

**स्रोत:** नाबार्ड।

V.46 एसटीसीबी के समान, सभी क्षेत्रों में डीसीसीबी की वित्तीय सेहत में काफी भिन्नता है। मध्य क्षेत्र ने उच्चतम एनपीए अनुपात रिपोर्ट करना जारी रखा, जबकि उत्तरी राज्यों में आस्ति गुणवत्ता में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों ने उच्चतम वसूली-मांग अनुपात रिपोर्ट किया (चार्ट V.21ए और V.21बी)।

V.47 एसटीसीबी की तुलना में डीसीसीबी लगातार उच्चतर एनपीए अनुपातों और मांग की तुलना में वसूली अनुपात में कमी से ग्रसित था। डीसीसीबी के ऋण पोर्टफोलियो में कृषि ऋण की हिस्सेदारी एसटीसीबी से अधिक होती है; इसलिए, वे कृषि प्रदर्शन में प्रकृति की अनिश्चितताओं और अस्थिरता से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होते हैं (चार्ट V.22)।

### 4.1.3 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी

V.48 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संरचना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर आते हैं जो सीधे अलग-अलग उधारकर्ताओं से मिलते-जुलते रहते हैं ताकि उन्हें अल्पावधि और मध्यावधि ऋण प्रदान किया जा सके। वे अपने सदस्यों के लिए कृषि आदानों की आपूर्ति, उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण और उपज के विपणन की व्यवस्था भी करते हैं।

V.49 पीएसीएस के समेकित तुलन-पत्र के देनदारी पक्ष को देखें तो स्वाधिकृत निधियों में पर्याप्त सुधार चुकता पूंजी और आरक्षित निधि दोनों की वजह से हुआ था। जमाराशि और

**चार्ट V.21: डीसीसीबी - क्षेत्रीय स्वरूप**

(मार्च के अंत में)

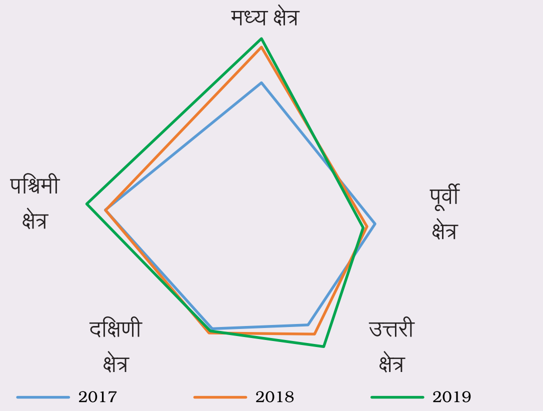


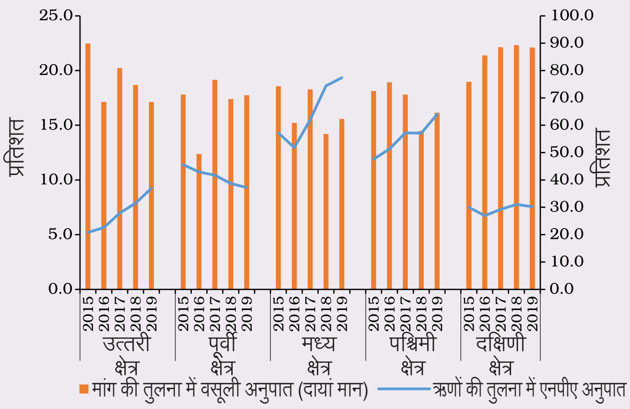


**टिप्पणी :** रिंग में विस्तार डीसीसीबी की वित्तीय सेहत ख़राब होने का संकेत देता है। वित्तीय सेहत एनपीए अनुपात द्वारा दर्शाई गई है।
**स्रोत :** नाबार्ड।

**चार्ट V.22: एनपीए एवं वसूली – एसटीसीबी *बनाम* डीसीसीबी**

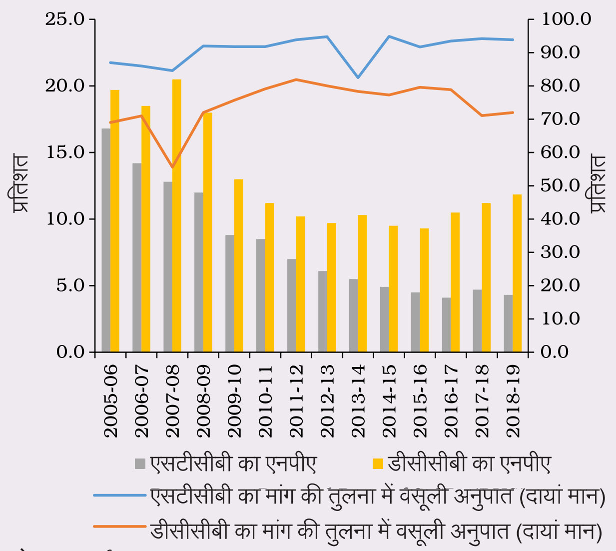


**स्रोत :** नाबार्ड।

उधारी दोनों ठीक गति से बढ़ी (परिशिष्ट सारणी V.5)।

V.50 जहां समग्र उधार संकुचित हो गया, वहीं यह कृषि ऋणों (-0.4 प्रतिशत) के सापेक्ष गैर-कृषि उधार (-71.9 प्रतिशत) के मामले में तीव्र था। परिणामस्वरूप, पीएसीएस के कुल ऋण में कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 54.9 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 81.2 प्रतिशत हो गई। वर्ष के दौरान, 48.9 प्रतिशत पीएसीएस लाभ में थे जबकि 87.1 प्रतिशत व्यवहार्य या संभावित रूप से व्यवहार्य माने गए थे। हालांकि, पीएसीएस के समेकित तुलन-पत्र में हानि लगातार दूसरे वर्ष लाभ पर भारी पड़ी (परिशिष्ट सारणी V.6)।

V.51 चूंकि पीएसीएस केवल अपने सदस्यों को ही ऋण प्रदान करता है, इसलिए उधारकर्ता-सदस्य अनुपात पीएसीएस से प्राप्त होने वाले ऋण की पहुंच और मांग का आकलन करने के लिए एक उपयोगी संकेतक है। वर्ष 2018-19 के दौरान यह अनुपात 38.7 प्रतिशत पर कम रहा, जो दर्शाता है कि एक तिहाई से थोड़े अधिक सदस्य ऋण सुविधा से लाभान्वित हुए। सकारात्मक पक्ष पर नजर डालें तो कुल सदस्यों के साथ-साथ उधारकर्ताओं में सीमांत किसानों की हिस्सेदारी अच्छी-ख़ासी बढ़ी है, जिससे पता चलता है कि समाज का सबसे कमजोर वर्ग पीएसीएस नेटवर्क से लाभान्वित हो रहा है (परिशिष्ट सारणी V.7)।

### 4.2 दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थान

V.52 पूंजी निर्माण और ग्रामीण गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करके कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास को बढ़ाने में दीर्घावधि सहकारी संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) शामिल हैं जो राज्य स्तर पर और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) जिला / ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं। हालांकि, जहां अधिकांश राज्यों में अल्पावधि सहकारी संस्थानों की त्रिस्तरीय संरचना है, वहीं दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं की संरचना सभी राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है। वर्तमान में, तेरह पूर्णतः कार्यरत एससीएआरडीबी में से पांच (गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश) ऐकिक हैं, यानी, वे अपनी शाखाओं के माध्यम से बिना किसी अलग पीसीएआरडीबी के परिचालन करते हैं। छह (हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु) संघीय हैं, जो पीसीएआरडीबी के माध्यम से परिचालित हो रहे हैं, और दो (हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल) मिश्रित संरचनाएं हैं, जिनमें एससीएआरडीबी पीसीएआरडीबी के साथ-साथ अपनी शाखाओं के माध्यम से परिचालित हो रहे हैं।

#### 4.2.1 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

V.53 एससीएआरडीबी का समेकित तुलन-पत्र वर्ष 2018-19 में लगातार दूसरे वर्ष भी संकुचित हो गया, क्योंकि संचित घाटे ने उनकी इक्विटी पूंजी आधार को घटा दिया (परिशिष्ट सारणी V.8)। एससीएआरडीबी का वित्तीय संकट जारी रहा क्योंकि उन्हें लगातार तीसरे वर्ष निवल हानि हुई। हालांकि,

परिचालन लाभ घनात्मक बना रहा, तथापि परिचालन खर्च में वृद्धि और ब्याजेतर आय में कमी के कारण इनमें वर्ष-दर-वर्ष 21.9 प्रतिशत तक की गिरावट हुई (परिशिष्ट सारणी V.9)। आस्ति की गुणवत्ता भी खराब हुई, और वसूली-मांग अनुपात में मामूली गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.10)। राज्यों में, केरल और त्रिपुरा ने क्रमशः सबसे कम और उच्चतम एनपीए अनुपात बनाए रखा (परिशिष्ट सारणी V.11)।

### 4.2.2 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

V.54 लगातार दो वर्षों तक विस्तार होने के बाद, वर्ष 2018-19 में पीसीएआरडीबी का समेकित तुलन-पत्र संकुचित हो गया और इसकी वजह देयता पक्ष में आरक्षित निधि एवं उधारियां तथा आस्ति पक्ष में ऋण एवं अग्रिम रही (परिशिष्ट सारणी V.12)। ब्याज आय में गिरावट के बावजूद वर्ष 2018-19 में पीसीएआरडीबी ने परिचालन लाभ दर्ज किया, जिसकी भरपाई ब्याजेतर आय में पर्याप्त वृद्धि से हुई (परिशिष्ट सारणी V.13)। एससीएआरडीबी की तरह, पीसीएआरडीबी के एनपीए अनुपात और वसूली-मांग अनुपात दोनों में गिरावट आ गई (परिशिष्ट सारणी V.14)। उत्तरी राज्यों में पीसीएआरडीबी ने सबसे अधिक एनपीए अनुपात सूचित किया, जबकि दक्षिणी राज्यों में सबसे कम एनपीए अनुपात सूचित किया गया (परिशिष्ट सारणी V.15)।

## 5. समग्र मूल्यांकन

V.55 वर्ष 2019-20 के दौरान एक प्रमुख यूसीबी में धोखाधड़ी का पता चलने से इसकी आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता प्रभावित हुई, जिसकी आंच अन्य संबंधित बैंकों पर भी आई। हालांकि, इसके प्रभाव-विस्तार को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया था, फिर भी इस प्रकरण ने कम पूंजी आधार, कमजोर कॉर्पोरेट अभिशासन, नई प्रौद्योगिकी को धीमी गति से अपनाने और नियंत्रण और संतुलन की अपर्याप्त प्रणालियों से उपजी प्रणालीगत जोखिमों को सामने लाया। इस आलोक में, सरकार और रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकिंग प्रणाली के संचालन और निगरानी में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें बीआर अधिनियम में संशोधन भी शामिल है, जिसने रिज़र्व बैंक को यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी पर और ज्यादा विनियामकीय नियंत्रण प्रदान किया। एक छत्र संगठन के गठन से वित्तपोषण की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

V.56 सहकारी क्षेत्र को हाल के वर्षों में कई झटके लगे हैं। इस बीच, वाणिज्यिक बैंकों ने प्रौद्योगिकी और बैंकिंग प्रतिनिधियों के नेटवर्क का लाभ उठाकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी पहुंच और उपस्थिति का विस्तार किया है जिससे यूसीबी पर प्रतिस्पर्धी दबाव बढ़ गया है। इसके अलावा, इस प्रकरण में निहित संरचनात्मक कमजोरियों ने इस क्षेत्र को परेशान किया है और निरंतर व बार-बार चुनौतियां पेश की हैं। हालांकि, उनके वित्तीय समावेशन में सराहनीय योगदान और व्यापक पहुंच को देखते हुए, वे जिन समुदायों की सेवा करते हैं, उनके हित में इस क्षेत्र को मजबूत करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत को जबर्दस्ती थोपा नहीं जा सकता है।